न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 04/2021 जिला सीकर ।

मदनलाल पुत्र भूदाराम जाति बलाई निवासी वार्ड नं0 22, मौहल्ला अण्डेसरी, अजीतगढ जिला सीकर (राज0)

अपीलान्ट्

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्

2. ख्यालीराम पुत्र सांवर जाति बलाई। (हजफ)
3. गुरूदयाल पुत्र किशना जाति बलाई। (हजफ)
4. गोमा पुत्र हरसहाय जाति बलाई (हजफ)
5. चावली देवी पुत्री घासी जाति बलाई। (हजफ)
6. छीतर पुत्र किशना जाति बलाई। (हजफ)
   निवासीयान् ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)
7. छोटूडी देवी पत्नी शिशपालराम जाति बलाई निवासी बसावा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0) (नाम हजफ)
8. दडकली पत्नी घासी जाति बलाई (हजफ)
9. दीपेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति बलाई (हजफ)
10. नरेश कुमार पुत्र घासी जाति बलाई। (हजफ)
11. नानू पुत्र हरसहाय जाति बलाई (हजफ)
12. नारायणी पत्नी किशना जाति बलाई (हजफ)
13. नीतू पुत्री मोहनलाल जाति बलाई (हजफ)
14. पंकज पुत्र सांवल जाति बलाई (हजफ)
15. प्रीति पुत्री मोहनलाल जाति बलाई (हजफ)
16. मनोज पुत्र मोहनलाल जाति बलाई (हजफ)
17. महेन्द्र पुत्र सांवल जाति बलाई (हजफ)
18. माडूराम पुत्र सांवल जाति बलाई (हजफ)
19. मोहित पुत्र सांवल जाति बलाई (हजफ)
20. रूघनाथ पुत्र किशना जाति बलाई (हजफ)
21. लालचन्द पुत्र सांवल जाति बलाई (हजफ)
22. श्योनाथ पुत्र किशना जाति बलाई (हजफ)
23. सावित्री पुत्री मोहनलाल जाति बलाई (हजफ)
    समस्त निवासीयान ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)
24. नेतराम पुत्र गिरधारीलाल जाति बैरवा निवासी अभयपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) (हजफ)

प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 17.09.2019 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह।

निर्णय

दिनांक–05.10.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अ ।र्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.09.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा ग्राम प्रीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1491, 1486, 1482, 1483, 1485, 1500, 1525, 1528, 1526, 1527, 1529 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथना ने "राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/2016/4328-53 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम. प्रीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1491, 1486, 1482, 1483, 1485, 1500, 1525, 1528, 1526, 1527, 1529 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट् स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.09.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1525 रकबा 0.56 है9 ग्राम प्रीथमपुरी उर्फ प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है जो अपीलांट् एवं अन्य प्रोफार्मा रेस्पोडेंटस् के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट् व अन्य सहकाश्तकार भूमि पर काबिज है व भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारां निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट् की भूमि खसरा नम्बर 1525 के हिस्सा 1/12 का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि उसके नाम अंकित है। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी। खसरा नम्बर 1525 में से जहां वर्तमान में नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है वहां मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा, ना ही मौके पर आज कायम है। आने जाने हेतु जो रास्ता बना हुआ था वो खसरा नम्बर 1525 के बीच में से था जिसकी ताईद हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 को अंकन करते हुये उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुये बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। परिपत्र दिनांक 10.8.2016 में स्पष्ट रूप ये यह प्रावधान है कि भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58(ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो उसकी प्रति संबंधित खातेदार को दी जायेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार नीमकाथाना व उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानो के नजरअंदाज कर अपीलांट् को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी. सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2019 निरस्त फरमाया जावे।
6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम प्रीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1491, 1486, 1482, 1483, 1485, 1500, 1525, 1528, 1526, 1527, 1529 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2019 पारित किया गया है। हम समझते है कि अपीलान्ट् वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2019 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

5/10/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/10/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर